न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 22 / 2021
नरेन्द्र पुत्र आशाराम, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं0 22, गंगा कालोनी, विघा विहार पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राज0।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. भगवती पत्नि बलवीर, निवासी वार्ड नं0 22, गंगा कालोनी, विघा विहार पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राज0।
2. निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (एस0डी0एम0), सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील अ0धारा 17 बी राजस्थान नगर पालिका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरस आर्डर 1974 अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15.01.2021 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) सूरजगढ बाबत हटाये जाने नाम वार्ड नं0 22, क0स0 307 व 313 नगर पालिका विघा विहार पिलानी।

——

उपस्थित
1. श्री विरेन्द्र कुमार सीगड, एडवोकेट— अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 17.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) सूरजगढ के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 का नाम वार्ड सं0 22 क0स0 307 व 313 नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटवाये जाने हेतु निवेदन रेस्पोडेन्ट नं0 2 से किया। अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अस्वीकार कर दिया इस कारण यह अपील इस प्रकार पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय विरूद्व कानून है। अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपीलान्ट की शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने आक्षेप के समर्थन मे कहा है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 का नाम वार्ड नं0 22 गंगा कॉलोनी विघा विहार पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज0) की मतदाता सूची के क्रम संख्या 307 व 313 पर पटवारी व अधिशाषी अधिकारी से साज कर गलत रिपोर्ट बनवाकर जुडवा लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 वार्ड नं0 22 मे निवास नही करती है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने बिना आधार के

गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 का नाम वार्ड सं0 22 की क0स0 307 व 313 नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटाया जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपीलान्ट की शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने अपने आक्षेप के समर्थन मे कहा है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 का नाम वार्ड नं0 22 गंगा कॉलोनी विघा विहार पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज0) की मतदाता सूची के कम संख्या 307 व 313 पर पटवारी व अधिशाषी अधिकारी से साज कर गलत रिपोर्ट बनवाकर जुडवा लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 वार्ड नं0 22 मे निवास नही करती है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने बिना आधार के गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 का नाम वार्ड सं0 22 की क0स0 307 व 313 नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली से हटाया जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचन नियमों के तहत उक्त अपील नियमानुसार अदालत मातहत के आदेश के विरूद्व 15 दिवस मे इस न्यायालय मे करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 15.01.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम निर्वाचन नामावली में जोड़े जाने के आवेदन को स्वीकार किया है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम निर्वाचन नामावली में झुठी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पिलानी का निवासी मानते हुये स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट का स्थानिय निवासी नही होने का तथा अन्यत्र निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसके कथनों की पुष्ठि की जा सकें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a Ward shall be given, after the last date for making nominations for an election in that ward and before the completion of that election. उक्त निर्देशों के परिपेक्ष में वर्तमान में निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील सारहीन हो चुकी है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू